

पत्रावली पेश हुई।

27 ⁰³/₂₀₂₄

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के वकील अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस प्रार्थी वकील की सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 517 व 517/2 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 517/1 रकबा 0.1211 हैक्टर के उत्तरी सीमा व दक्षिणी सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं प्रजेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली